न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

वहक श्री सोहनसिंह, सुरजनसिंह
पुत्र श्री रामसिंह S/o देवीसिंह
जाति राजपूत नि. भकरी मौलास
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 7 / 2018

निर्णय दिनांक 11/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मौलास खसरा नम्बर 799 रकबा 0.1150 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री सोहनसिंह, सुरजनसिंह रामसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भकरी मौलास जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा फसल खरीफ डोल लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किंया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलव किया गया। तलबी पर अप्रार्थी द्वारा लिखित में जवाब दावा पेश किया एवं भकरी मौलास के ख.न. 799 पर हमारा अतिक्रमण नहीं है। जिसकी पुनः जांच भू.अ.नि. बागोट से करवायी गयी, जांच में अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमी का कब्जा पाया गया। जांच रिपोर्ट शामिल मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरी मौलास के ख.न. 799 रकबा 0.1150 किस्म गै.मु.रास्ता पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर फसल खरीफ डोल लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6.रु. प्रति हैक्टर की 50 गुणा रूपया 34.50 रु० R.F. 35/=) शास्ति (रूपये पैंतीस रुपये) कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी
नायव तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

Scanned by CamScanner